राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच सं. 12, रायसिंहनगर
(न्यायालयः— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर)

ओमप्रकाश बनाम बृजलाल आदि
वाद सं. 192 / 2021 जी सी एम एस . 2021 / 416
अन्तर्गत 88,92ए,209 आरटीएक्ट

13.08.2022

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश), श्रीगंगानगर द्वारा आदेश क्रमांक / एनएलए / 2022 / 70 दिनांक 06.08.2022 के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु गठित की गई बैंच सं. 12 के समक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा प्रकरण लोक अदालत में रैफर किये जाने के परिणामस्वरूप आज यह पत्रावली लोक अदालत बैंच के समक्ष पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रकरण में वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादी प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। इसी स्तर पर दावा की कार्यवाही ड्रोप फरमाने हेतु निवेदन किया हैं। चूंकि वादी प्रकरण में अब अन्य कोई कार्यवाही नहीं चाहते, प्रकरण विड्रॉ करना चाहते हैं। अतः वादी को प्रकरण विद–ड्रॉ करने की अनुमति दी जाती हैं एवं वाद वादी विद–ड्रॉ आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली राजस्व न्यायालय को लौटाई जावे। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच
रायसिंहनगर

13/8/22
अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.10.28 11:14:45 IST
Reason: SelfAttested